रजिस्ट्री सं० डी एल (एन) 04/0007/2003—05

REGD. No. DL (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जून 26—जुलाई 2, 2005 शनिवार/आषाढ़ 5—आषाढ़ 11, 1927
No. 27] NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2005 SATURDAY/ASADHA 5—ASADHA 11, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 जून, 2005

का.आ. 2286.—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 25 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

(i) श्री आर. के. पाठक, अधिवक्ता, मुम्बई,

(ii) श्री जे. आर. मोरे, अधिवक्ता, मुम्बई,

(iii) कु. नीति पंडे, अधिवक्ता, मुम्बई,

(iv) श्री राजेश देशाई, अधिवक्ता, मुम्बई,

(v) श्री अजीत एस. ईनामदार, अधिवक्ता, मुम्बई,

(vi) श्री एन. नटराजन, अधिवक्ता, मुम्बई,

(vii) श्री विमल गुप्ता, अधिवक्ता, मुम्बई,

(viii) श्री गिरीश आर. अग्रवाल, अधिवक्ता, मुम्बई,

(ix) श्री दीपक ठाकुर, अधिवक्ता, मुम्बई

को बृहत्तर मुम्बई में महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों और विशेष न्यायालयों में भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय या अपनी सरकारी हैसियत से कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के विभाग के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध सभी दांडिक मामलों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए, इस शर्त के अध्यधीन कि ऊपर उल्लिखित अधिवक्ता केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध किसी दांडिक मामले में बृहत्तर मुम्बई में किसी महानगर न्यायालय और किसी विशेष न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे, तुरन्त प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 23(2ए)/2005-न्या०]

डी.आर. मीणा, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

का.आ. 2368.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 16 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह मत होने के कारण कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत कतिपय स्थापनाओं की परिस्थितियों के मद्दे नजर अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य तदनुरूप निगम के अंतर्गत ऐसा करना जरूरी तथा समीचीन है, एतद्द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के प्रतिष्ठानों को 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि तक उक्त अधिनियम के प्रचालन से छूट प्रदान करती है,—

(क) जिनका वित्तपोषण पूर्णत: केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार तथा आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों से प्राप्त सहायता अनुदान से होता हो बशर्ते कि सहायता अनुदान में भविष्य निधि के नियोक्ताओं के अंशदान के संबंध में नियोक्ता की देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन से कोई राशि शामिल न हो; अथवा

(ख) जो लोक धर्म अथवा दातव्य न्यासों अथवा अक्षयनिधियों (मठों, मन्दिरों, गुरूद्वारों, वक्फों, चर्चों, यहूदी सभाघरों, एजीरियों अथवा सार्वजनिक धार्मिक अन्य पूजा स्थलों) अथवा सोसाइटियों अथवा धार्मिक न्यासों अथवा दातव्य अथवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ न्यासों द्वारा चलाए जाते हों और केन्द्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत उपर्युक्त रूप में अधिसूचित किए गए हों,

बशर्ते कि ऐसी श्रेणी के प्रतिष्ठान कोई विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज, कोई विद्यालय, कोई वैज्ञानिक संस्थान, कोई ऐसा संस्थान चलाते हों जिसमें छात्रों से कोई प्रभार अथवा शुल्क लेकर अनुसंधान, शिक्षा जानकारी अथवा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हो अथवा वे कोई अस्पताल-नर्सिंग होम अथवा क्लीनिक चलाते हों जिसमें रोगियों से कोई प्रभार अथवा शुल्क लेकर चिकित्सा उपचार या प्रक्रिया की जाती हो, तो ऐसे कार्यकलाप को प्रथम उल्लिखित अधिनियम के प्रचालन से छूट नहीं दी जाएगी :

बशर्ते कि सरकार जब कभी उचित समझे छूट को रद्द करने तथा/अथवा आशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

[फा. सं. एस-35014/3/02-एस एस-II]

संयुक्ता राय, अवर सचिव

New Delhi, the 7th June, 2005

S.O. 2368.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 16 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government, being of opinion that having regard to the circumstances of certain establishements registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or under any other corresponding law for the time being in force it is necessary and expedient so to do, hereby exempts the following class of establishments from the operation of the said Act for a period up to the 31st March, 2010 with effect from the 1st April, 2005,:—

(a) those being wholly financed by the grants-in-aid received from the Central Government, or any State Government or State Governments or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments subject to the condition that grants-in-aid does not include any amount for the purpose of meeting the liability of the employer towards the employers' contribution to the provident fund; or

(b) those being run by public, religious or charitable trusts or endownments (including maths, temples, gurudwaras, wakfs, churches, synagogues, agiaries or other places of public religious worship) of societies and Trusts for religious or charitable or other public purposes and notified as such as by the Central Government under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) :

Provided that if such class of establishments run any university, any college, any school, any scientific institution, any institution in which research, education, imparting knowledge or training is carried on against charges of fees from the students, or run any hospital, nursing home or clinic in which any medical treatment or procedure is carried on against charges or fees from the patients, such activity shall not be exempted from the operation of the first mentioned Act :

Provided that the Government reserves the right to revoke and/or modify the exemption as and when it is deemed fit.

[F. No. S-35014/3/02-SS-II]

SANJUKTA RAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जून, 2005

का.आ. 2369.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 जुलाई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है के उपबन्ध असम के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,

"डिगबोई क्षेत्र के मोजा-माकुम, जिला तिनसुकिया के अन्तर्गत आने वाले डिगबोई राजस्व सर्किल के अधीन राजस्व